कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2552 /15–1, दिनांक, झांसी, फरवरी, 22 2021

सेवा में,
श्री आशीष कुमार रावत,
सहायक परियोजना अभियन्ता,
अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम,
झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में झांसी–भगवंतपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 के कि0मी0 संख्या–1 से 4 तक बायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना फेज–1 के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.40हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– उ0प्र0 शासन पर्यावनण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र संख्या–2698/81–2–2020–800 (122)/2020, दिनांक 16.02.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या–2055/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/वाटर/47013/2020, दिनांक 18.02.2021।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में राज्य सरकार ने संदर्भित पत्र के द्वारा जनपद झांसी में झांसी–भगवंतपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 के कि0मी0 संख्या–1 से 4 तक बांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना फेज–1 के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त निम्न शर्तो के अनुपालन में शर्त संख्या–1 से 18 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करे, जिससे प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

शर्त संख्या–01 प्रयोक्ता ऐजेन्सी सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–02 प्रयोक्ता ऐजेन्सी पाइप लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–03 प्रयोक्ता ऐजेन्सी पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी0 गहराई, 1.00 मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–04 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरसे भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–05 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्रापत की जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–06 प्रयोक्ता ऐजेन्सी वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–07 प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–08 प्रयोक्ता ऐजेन्सी भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् रहेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–09 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

प्रयोक्ता एजेन्सी निम्न वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराके धनराशि का चालान संख्या, यू0टी0आर0 नम्बर, दिनांक सहित प्रस्तुत की जायेगी।

शर्त संख्या–09	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)	250400.00
	योग	**250400.00**

(मु0 दो लाख पचास हजार चार सौ रूपया मात्र)

शर्त संख्या–10 प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–11 प्रयोक्त एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम सतर का अनुमोदन प्राप्त हो। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–12 प्रयोक्ता ऐजेन्सी भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–जे0–11013/41/2006–IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–13 प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–14 प्रयोक्ता ऐजेन्सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में (shp) दर्शाया गया। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–15 प्रयोक्ता ऐजेन्सी यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चत् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–16 प्रयोक्ता ऐजेन्सी समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–17 प्रयोक्ता ऐजेन्सी परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्ताविक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–18 प्रयोक्ता ऐजेन्सी उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी है कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पास पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध/अधिकृत लाइसेन्स है तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो, तभी उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस आशय का अलग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।

उक्त शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र करना सुनिश्चित करे, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

Letter Van Sandeep Jha